

पत्रांक.....

943

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय

झारखण्ड, राँची

२०२० झारखण्ड डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड दिनांक ३०-७-११

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं।

1. निबंधन शुल्क-50/-रुपया मात्र
2. आम सभा का प्रस्ताव।
3. स्मृति-पत्र
4. नियमावली

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,

२०२० झारखण्ड डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
बि- ३/२०२०-२०२१, हाउसिंग कोरपोरेशन
झारखण्ड - राँची

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक



Nº 008873

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 461

वर्ष 2011 - 2012 .

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

रनर ल अरबन डेवलपमेंट सोसाइटी

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 06/11/2011 मास नवम्बर वर्ष दो हजार आठ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।



वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।